


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 906]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 23, 2013/वैशाख 3, 1935

No. 906]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 23, 2013/VAISAKHA 3, 1935

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2013

का. आ. 1029(अ).— पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 159 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कतिपय प्रारूप नियम, ऐसे व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध कराई गई थी, पन्द्रह दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 189 (अ), तारीख 17 जनवरी, 2013 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

और उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां तारीख 17 जनवरी, 2013 को जनसाधारण को उपलब्ध करा दी गई थी।

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में इस विभाग को जनसाधारण से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 159 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेटेंट नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् —

- 1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेटेंट (संशोधन) नियम, 2013 है।
- (2) ये उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।
2. पेटेंट नियम, 2003 (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 4 में उप-नियम (2) में निम्नलिखित उप-नियम अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् —
(3) उप-नियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियंत्रक पेटेंट के लिए इस प्रकार फाइल आवेदन यथास्थिति पेटेंट कार्यालय के प्रधान कार्यालय या शाखा कार्यालय को अंतरित कर सकेगा।

(4) उप-नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अधिनियम की धारा 16 में निर्दिष्ट और आवेदन केवल पहले उल्लिखित समुचित कार्यालय में फाइल किया जा सकेगा।

(5) पेटेंट (संशोधन) नियम, 2013 के प्रारंभ के पूर्व पहले उल्लिखित आवेदन के समुचित कार्यालय से भिन्न अधिनियम की धारा 16 में निर्दिष्ट किसी कार्यालय में फाइल सभी और आवेदनों को पहले उल्लिखित आवेदन के समुचित कार्यालय को हस्तांतरित किया जाएगा।

3. उक्त नियमों के नियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् —

“9 दस्तावेज और प्रतियाँ आदि का फाइल किया जाना—

(1) पेटेंट कार्यालय में फाइल किए गए शपथ-पत्र और रेखाचित्रों के सिवाय सभी दस्तावेज और अन्य दस्तावेजों की प्रतियाँ—

(क) न्यूनतम डेढ़ स्थान-अंतराल रखते हुए गहरे अमिट स्याही में कम-से-कम 0.28 सेंटीमीटर उच्च स्पष्ट तथा पठनीय अक्षरों में कागज के केवल एक ही तरफ हिन्दी या अंग्रेजी भाषा में (जब तक नियंत्रक द्वारा अन्यथा निदेश या अनुज्ञात न हो) टंकित अथवा मुद्रित होगी;

(ख) ऐसे किसी कागज पर होगी जो नम्य, सुदृढ़, चिकने, अचमकीले तथा टिकाऊ, ए4 आकार के लगभग 29.7 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर लम्बाई-चौड़ाई के, जिनके शीर्ष और वाम-हस्त की ओर न्यूनतम 4 सेंटीमीटर तथा नीचे और दाहिनी ओर 3 सेंटीमीटर का हाशिया छोड़ते हुए हो;

(ग) कागज के नीचे केन्द्र में अरेबिक संख्याओं की निरंतर क्रम में संख्यांकित होंगी।

(घ) वर्णन के प्रत्येक पृष्ठ तथा दावों के प्रत्येक पृष्ठ के प्रत्येक पांचवीं पंक्ति पर बाएँ हाशिए के दायें अर्द्ध में संख्या लिखी होगी।

(2) कोई हस्ताक्षर जो पठनीय नहीं है या जो अंग्रेजी या हिन्दी के अतिरिक्त किसी लिपि में लिखित हो, उसके साथ उस नाम का अनुलिपिकरण या तो हिन्दी या अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में संलग्न किया जाएगा।

(3) यदि पेटेंट आवेदन न्यूक्लियोटाइड्स की क्रम सूची अथवा अमीनो-अम्ल अनुक्रम प्रकट करता हो, तो वह न्यूक्लियोटाइड्स की क्रम सूची अथवा अमीनो-अम्ल अनुक्रम आवेदन के साथ कम्प्यूटर पठनीय इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में फाइल किया जाएगा और न्यूक्लियोटाइड्स की क्रम सूची अथवा अमीनो-अम्ल अनुक्रम की कोई मुद्रित प्रति देना आवश्यक नहीं होगा।

(4) सभी दस्तावेजों की अतिरिक्त प्रतियाँ समुचित कार्यालय में फाइल किए जाएंगे जो नियंत्रक द्वारा अपेक्षित हो।

(5) आवेदक तथा अन्य व्यक्तियों के नाम और पते, उनकी राष्ट्रीयता और ऐसी अन्य विशिष्टियाँ, यदि हों, जो उनकी पहचान हेतु आवश्यक हो, के साथ पूर्ण रूप में दी जाएगी।

4. उक्त नियमों के नियम 17 में, खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(कक) “परीक्षण प्राधिकारी” से नियम 19च के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट भारतीय अन्तर राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(कख) “अन्तरराष्ट्रीय अधिकारी” से विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन का अन्तरराष्ट्रीय खोज प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(कग) “खोज अधिकारी” से नियम 19क के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट भारतीय अन्तरराष्ट्रीय खोज प्राधिकारी अभिप्रेत है

5. उक्त नियमों के नियम 18 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“18 अन्तरराष्ट्रीय आवेदनों के सम्बन्ध में समुचित कार्यालय—

(1) अन्तरराष्ट्रीय आवेदनों के प्रयोजनों के लिए यथास्थिति प्राप्तकर्ता कार्यालय, अभिहित कार्यालय और चयनित कार्यालय, नियम 4 में निर्दिष्ट समुचित कार्यालय होगा।

(2) उप-नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पेटेंट कार्यालय, दिल्ली शाखा अन्तरराष्ट्रीय ब्यूरो तथा किसी अन्य अन्तरराष्ट्रीय खोज प्राधिकारी तथा अन्तरराष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण प्राधिकारी के साथ कार्य करने हेतु समुचित कार्यालय होगा।

(3) अन्तरराष्ट्रीय आवेदन, इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार, इस संधि और इस संधि के अधीन स्थापित विनियमों के अनुसार उप-नियम (1) में निर्दिष्ट समुचित कार्यालय में फाइल किया जाएगा और समुचित कार्यालय द्वारा उस पर कार्यवाही की जाएगी।

(4) उप-नियम (1) में उल्लिखित समुचित कार्यालय कोई अन्तरराष्ट्रीय आवेदन प्राप्त होने पर,

(क) उस आवेदन की एक प्रति रख लेगा जिसे “गृह प्रति” कहा जाएगा;

(ख) एक प्रति जिसे “अभिलेख प्रति” कहा जाएगा, अन्तरराष्ट्रीय ब्यूरो को भेजेगा, और

(ग) एक प्रति जिसे “खोज प्रति” कहा जाएगा संधि के अनुच्छेद 16 में निर्दिष्ट अन्तरराष्ट्रीय खोज प्राधिकारी को प्रेषित करेगा और साथ ही ऐसे आवेदन के पूर्ण ब्यूरो पेटेंट कार्यालय दिल्ली को भेजेगा।

6. उक्त नियमों के नियम 19 के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“19 प्राप्तकर्ता कार्यालय के रूप में समुचित कार्यालय के साथ फाइल किए गए अन्तरराष्ट्रीय आवेदन—

(1) कोई अन्तरराष्ट्रीय आवेदन या तो अंग्रेजी या हिन्दी में तीन प्रतियों में समुचित कार्यालय के साथ फाइल किया जाएगा।

- (2) अन्तरराष्ट्रीय आवेदन की बाबत संदेय फीस, संधि के अधीन विनियमों में विनिर्दिष्ट फीस के अतिरिक्त पहली अनुसूची या पांचवीं अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट फीस होगी।
- (3) जहाँ कोई अन्तरराष्ट्रीय आवेदन तीन प्रतियों में फाइल नहीं किए गए हैं वहाँ समुचित कार्यालय प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस के संदाय पर अपेक्षित अतिरिक्त प्रतियाँ तैयार करेगा।
- (4) आवेदक से अनुरोध प्राप्त होने पर और प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस का भुगतान करने के बाद समुचित कार्यालय पूर्विकता दस्तावेज की एक सत्यापित प्रति तैयार करेगा और उसे शीघ्रता से अन्तरराष्ट्रीय ब्यूरो को प्रेषित करते हुए आवेदक और पेटेंट कार्यालय की दिल्ली शाखा को इसकी सूचना देगा।
19. **क. भारतीय अन्तरराष्ट्रीय खोज प्राधिकारी -**
- (1) भारतीय पेटेंट कार्यालय और अन्तरराष्ट्रीय ब्यूरो के बीच हुए समझौते के अनुसरण में संधि के तहत पेटेंट कार्यालय, दिल्ली शाखा भारतीय अन्तरराष्ट्रीय खोज प्राधिकारी के कृत्यों का निष्पादन करेगा।
- (2) खोज प्राधिकारी को संदेय फीस, संधि के तहत निर्मित विनियमों में विनिर्दिष्ट फीस के अतिरिक्त, पांचवीं अनुसूची में यथा निर्दिष्ट फीस होगी।
- (3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट खोज प्राधिकारी, अन्तरराष्ट्रीय आवेदनों के सम्बन्ध में अन्तरराष्ट्रीय खोज रिपोर्ट तैयार करेगा अथवा नियम 19 ख के उपनियम (3) के अनुसार घोषित करेगा, यथास्थिति, जहाँ भारत को सक्षम खोज प्राधिकारी के रूप में इंगित किया गया है।
19. **ख. अन्तरराष्ट्रीय खोज रिपोर्ट-**
- (1) खोज प्राधिकारी खोज प्रति प्राप्त होने पर, उसके पहचान चिह्न 'ISA/IN' के साथ खोज प्रति की अन्तरराष्ट्रीय आवेदन संख्या तथा उसकी क्रम संख्या और प्राप्ति की तारीख देते हुए अन्तरराष्ट्रीय ब्यूरो और उस आवेदक को खोज प्रति की प्राप्ति के सम्बन्ध में अधिसूचित करेगा।
- (2) नियम 24ख के उप नियम (2) की मद (1) के परंतुक में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, खोज प्राधिकारी, खोज प्रति प्राप्त होने पर, उस आदेश में जिसमें खोज प्रति प्राप्त की गई थी, अन्तरराष्ट्रीय आवेदन किसी परीक्षक या अधिनियम की धारा 73 की उप-धारा (2) के तहत नियुक्त किसी अन्य अधिकारी को इस संधि और इसके अंतर्गत स्थापित विनियमों में निहित उपबंधों के अनुसरण में ऐसे संदर्भ की तारीख से सामान्यतः एक महीने की अवधि के भीतर, जो दो महीने से अधिक नहीं होगी, अन्तरराष्ट्रीय खोज रिपोर्ट बनाने के लिए निर्दिष्ट करेगा।
- (3) खोज प्राधिकारी का यदि यह विचार है कि -
- (क) अन्तरराष्ट्रीय आवेदन उस विषय-वस्तु से संबद्ध है जिस पर खोज प्राधिकारी के लिए खोज करना अपेक्षित नहीं है तथा वह तदनुसार खोज न करने का विनिश्चय करता है; या
- (ख) वर्णन, दावे और आरेख विनियमों के अधीन विहित अपेक्षाओं के अनुपालन में उस सीमा तक असफल है कि एक अर्थपूर्ण खोज संचालित नहीं की जा सके,
- तो उक्त प्राधिकारी आवेदक तथा अन्तरराष्ट्रीय ब्यूरो को यह घोषणा करेगा तथा अधिसूचित करेगा कि कोई अन्तरराष्ट्रीय खोज रिपोर्ट तैयार नहीं की जाएगी।
- (4) ऐसे संदर्भ में जहां उप-नियम (3) के खंड (क) तथा (ख) में निर्दिष्ट कोई स्थिति केवल किसी दावे के सम्बन्ध में विद्यमान पाई गई, तो खोज प्राधिकारी ऐसे दावे की बाबत अन्तरराष्ट्रीय खोज रिपोर्ट में इस तथ्य का उल्लेख करेगा, और अन्य दावे के लिए, वह अन्तरराष्ट्रीय खोज रिपोर्ट तैयार करेगा।
- (5) खोज प्राधिकारी का, यदि यह विचार है कि अन्तरराष्ट्रीय आवेदन संधि के तहत विनियमों के नियम 13 में विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसरण में आविष्कार की एकलता की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करती है तो वह उन कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए जिसके कारण उस अन्तरराष्ट्रीय आवेदन को आविष्कार की एकलता की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करने वाला माना गया है एक सूचना भेजेगा और आवेदक को आमंत्रित करेगा:
- (क) ऐसे आविष्कार की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर संदेय की जाने वाली फीस की रकम उपदर्शित करते हुए पांचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस का भुगतान करना; और
- (ख) ऐसे आविष्कार की तारीख से एक मास की अवधि के लिए संदेय फीस की राशि उपदर्शित करते हुए पांचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रतिवाद फीस, जहाँ लागू हो, का भुगतान करना।
- (6) खोज प्राधिकारी अन्तरराष्ट्रीय आवेदन के उन भागों पर अन्तरराष्ट्रीय खोज रिपोर्ट स्थापित करेगा जो दाः (मुख्य आविष्कार) में सर्वप्रथम उल्लिखित आविष्कार से संबंधित हो जिसके बाबत उक्त फीस का भुगतान किया गया था, के अध्यक्षीय उप-नियम (5) में विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर अतिरिक्त फीस का भुगतान कर दिया गया हो।
- (7) कोई आवेदक विरोध के तहत अतिरिक्त फीस का भुगतान करेगा अर्थात् इस प्रभाव का एक तार्किक कथन-संलग्न करते हुए कि अन्तरराष्ट्रीय आवेदन आविष्कार की एकलता की अपेक्षाओं को पूरा करता है या यह कि अपेक्षित अतिरिक्त फीस की राशि अत्यधिक है।
- (8) उप-नियम (7) में निर्दिष्ट प्रतिवाद का परीक्षण नियंत्रक द्वारा गठित एक पुनर्विलोकन समिति द्वारा किया जाएगा।
- (9) उप-नियम (8) के अधीन गठित पुनर्विलोकन समिति उस सीमा का परीक्षण करेगी जहाँ तक वह प्रतिवाद युक्तिसंगत है और तदनुसार आवेदक को अतिरिक्त फीस की पूर्ण या आंशिक प्रतिपूर्ति का आदेश देगा।
- (10) जहाँ आवेदक ने उप-नियम (5) के उपबंध (ख) के अनुसार प्रतिवाद फीस को संदत्त नहीं किया है, या मान लिया जाएगा कि विरोध नहीं किया गया है और खोज प्राधिकारी ऐसी घोषणा करेगा।

(11) जहाँ उप-नियम (8) में निर्दिष्ट पुनर्विलोकन समिति यह पाती है कि प्रतिवाद पूर्णतया युक्तिसंगत था तो आवेदक को प्रतिवाद फीस वापस कर दी जाएगी।

(12) जहाँ अन्तरराष्ट्रीय आवेदन में एक या अधिक न्यूक्लियोटाइड या अमीनो अम्ल अनुक्रम अनुसूची का प्रकटीकरण अन्तर्विष्ट है और वह अनुक्रम कम्प्यूटर पठनीय प्ररूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है, यहाँ खोज प्राधिकारी उस आवेदक को एक सूचना भेजेगा कि वह उस सूचना की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर अनुक्रम अनुसूची को कम्प्यूटर पठनीय प्ररूप में प्रस्तुत करे और पांचवीं अनुसूची में विहित विलम्ब फर्निशिंग फीस का भुगतान करे और यदि आवेदक उस सूचना का अनुपालन करने में असफल रहता है तो खोज प्राधिकारी उस सीमा तक अन्तरराष्ट्रीय खोज संचालित करेगा जहाँ तक कि अनुक्रम अनुसूची किए बिना अर्धपूर्ण खोज संचालित किया जा सके।

19. ग. अन्तरराष्ट्रीय खोज रिपोर्ट स्थापित करने की समय सीमा -

खोज प्राधिकारी नियम 19 ख के उप-नियम 3 में निर्दिष्ट अन्तरराष्ट्रीय खोज रिपोर्ट तथा, यथास्थिति, लिखित राय या घोषणा उक्त खोज प्राधिकारी द्वारा खोज प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने या प्राधिकारिता की तारीख से नौ महीने की अवधि के भीतर, जो भी समय सीमा बाद में समाप्त होती हो, स्थापित करेगा।

19. घ. अन्तरराष्ट्रीय खोज रिपोर्ट और लिखित राय आदि का पारेषण -

अन्तरराष्ट्रीय खोज प्राधिकारी अन्तरराष्ट्रीय खोज रिपोर्ट या इस संधि के अनुच्छेद 17 (2) (क) में निर्दिष्ट उद्घोषणा की एक प्रति और इस संधि के अधीन निर्मित विनियमों के नियम 43 बीआईएस. 1 के अधीन स्थापित लिखित राय की एक प्रति अन्तरराष्ट्रीय ब्यूरो को और एक प्रति आवेदक को उसी दिन पारेषित करेगा।

19. ङ. गोपनीय व्यवहार-अन्तरराष्ट्रीय आवेदन से संबद्ध सभी विषयों को इस संधि और इसके अधीन विनियमों के अनुसार गोपनीय रखा जाएगा।

19. च. भारतीय अन्तरराष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण प्राधिकारी -

(1) पेटेंट कार्यालय, दिल्ली शाखा, भारतीय अन्तरराष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा और भारतीय पेटेंट कार्यालय एवं अन्तरराष्ट्रीय ब्यूरो के बीच हुए समझौते के अनुसार इस संधि के तहत अन्तरराष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण प्राधिकारी के कृत्यों का निष्पादन करेगा।

(2) उप-नियम (1), में निर्दिष्ट परीक्षण प्राधिकारी निम्नलिखित स्थापित करेगा-

(क) अन्तरराष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण प्राधिकारी के रूप में भारत का चयन करने वाले सभी अन्तरराष्ट्रीय आवेदनों के संदर्भ में अन्तरराष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण रिपोर्ट;

(ख) अन्य देशों के राष्ट्रीकों अथवा निवासियों द्वारा भारतीय पेटेंट कार्यालय तथा अन्तरराष्ट्रीय ब्यूरो के बीच हुए समझौते के अनुसार फाइल की गई माँगों के सम्बन्ध में, अन्तरराष्ट्रीय ब्यूरो द्वारा अधिसूचित किए जाने के बाद;

(ग) अन्य देशों के ऐसे राष्ट्रीकों या निवासियों जो इस संधि का भाग नहीं है या इस संधि के अध्याय 2 द्वारा आबद्ध नहीं है, द्वारा की गई माँगों के सम्बन्ध में अन्तरराष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण, यदि सभा ने इस प्रकार अनुमोदित किया है।

19. छ. माँग करने की अवधि-

(1) अन्तरराष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण की माँग, संधि के अधीन या उस संधि के अधीन बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर की जाएगी।

(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् की गई माँग की दशा में, यह समझा जाएगा कि माँग नहीं की गई है और कोई अन्तरराष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण प्रतिवेदन तैयार नहीं किया जाएगा।

19. ज. परीक्षणकर्ता प्राधिकारी को संदेय फीस -परीक्षण प्राधिकारी को संदेय फीस, संधि के अधीन निर्मित विनियमों में निर्दिष्ट फीस के अतिरिक्त पांचवी अनुसूची में यथा निर्दिष्ट फीस होगी।

19. झ. माँग करने की रीति-इन नियमों, इस संधि और इसके अधीन विनियमों में निहित उपबंधों के अनुसार माँग की जा सकेगी।

19. ञ. अन्तरराष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षा हेतु माँगों पर कार्यवाही-

(1) परीक्षण प्राधिकारी, अन्तरराष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षा हेतु माँग प्राप्त होने पर, यदि परीक्षण प्राधिकारी अन्तरराष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षा संचालित करने में सक्षम हैं, पहचान चिन्ह 'आईपीईए/आई एन' प्रदान करेगा और आवेदक और अन्तरराष्ट्रीय ब्यूरो को अधिसूचित करेगा।

(2) जहाँ परीक्षण प्राधिकारी अन्तरराष्ट्रीय आवेदन का अन्तरराष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षा संचालित करने में सक्षम नहीं है तो वहाँ प्राधिकारी तुरन्त वह माँग अन्तरराष्ट्रीय ब्यूरो को पारेषित कर देगा।

19. ट. अन्तरराष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण प्रतिवेदन - (1) नियम 24 ख के उप नियम (2) की मद (1) के परंतुक में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, परीक्षण प्राधिकारी इस संधि और इसके अधीन विनियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार अन्तरराष्ट्रीय आवेदन को, भारतीय अन्तरराष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण प्राधिकारी के समक्ष प्राप्त माँग के क्रमानुसार सामान्यतः तीन महीने किंतु ऐसे संदर्भ की तारीख से चार महीने से कम की अवधि के भीतर एक अन्तरराष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण प्रतिवेदन तैयार करने के लिए किसी परीक्षक या अधिनियम की धारा 73 की उप-धारा (2) के तहत नियुक्त किसी अन्य अधिकारी के पास भेजेगा।

(2) उस आविष्कार के सम्बन्ध में दावे, जिन पर कोई अन्तरराष्ट्रीय खोज रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है वह अन्तरराष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण का विषय नहीं होगा।

(3) परीक्षण प्राधिकारी यदि यह विचार करता है कि -

(क) वह अन्तरराष्ट्रीय आवेदन उस विषय वस्तु से संबंधित है जिस पर अन्तरराष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण प्राधिकारी को कोई अन्तरराष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण संचालित करने की आवश्यकता नहीं है, और उस विशेष मामले में, ऐसा परीक्षण संचालित नहीं करने का विनिश्चय करता है, या

(ख) विवरण, दावे या आरेख इतने अस्पष्ट हैं अथवा दावों के समर्थन में प्रदत्त विवरण इतना अपर्याप्त है कि नवीनता, आविष्कारिक चरण (अभिनव), या औद्योगिक अनुप्रयोग के प्रश्न पर कोई अर्थपूर्ण राय सृजित नहीं की जा सकती, तो परीक्षण प्राधिकारी इन प्रश्नों में नहीं उलझेगा और अपनी राय एवं उसके कारणों की सूचना आवेदक को देगा।

(4) ऐसे किसी मामले में जहाँ उप-नियम (3) के खंड (क) या उपबंध (ख) में निर्दिष्ट कोई स्थिति केवल कतिपय दावे के सम्बन्ध में विद्यमान पायी जाती है तो परीक्षण प्राधिकारी ऐसे दावे की बाबत अन्तरराष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण रिपोर्ट में इस तथ्य को इंगित करेगा और अन्य दावों के लिए अन्तरराष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण रिपोर्ट तैयार करेगा।

(5) जहाँ परीक्षण प्राधिकारी यह पाता है कि संधि के अधीन विनियमों के नियम 13 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार अन्तरराष्ट्रीय आवेदन आविष्कार की एकलता की अपेक्षा को पूरा नहीं करता और अपनी राय के अनुसार, आवेदक को दावों का प्रतिबंध अथवा अतिरिक्त फीस का भुगतान करने के लिए आमंत्रित करना चाहता है, वह आवेदक को एक नोटिस जारी करेगा :

(क) कम से कम एक संभावित निर्वधन विनिर्दिष्ट करेगा जो उस परीक्षण प्राधिकारी की राय में प्रयोज्य अपेक्षा के अनुसरण में हो;

(ख) उस कारण को निर्दिष्ट करेगा जिसके लिए उस अन्तरराष्ट्रीय आवेदन को आविष्कार की एकलता की अपेक्षा का अनुसरण नहीं करता हुआ पाया गया है;

(ग) आवेदक को आमंत्रण की तारीख से एक मास के भीतर आमंत्रण का अनुसरण करने के लिए बुलाएगा;

(घ) अपेक्षित अतिरिक्त फीस की रकम को उपदर्शित करेगा यदि आवेदक ऐसा विकल्प करे; और

(ङ) आवेदक को आवेदन की तारीख से एक महीने के भीतर प्रतिवाद फीस का भुगतान करने के लिए आमंत्रित करेगा और पांचवीं अनुसूची में यथानिर्दिष्ट भुगतान की जाने वाली रकम का उल्लेख करेगा।

(6) कोई आवेदक अतिरिक्त फीस का भुगतान प्रतिवाद के तहत करेगा अर्थात् इस प्रभाव का एक तार्किक कथन संलग्न करते हुए कि अन्तरराष्ट्रीय आवेदन आविष्कार की एकलता की अपेक्षाओं को पूरा करता है या कि अपेक्षित अतिरिक्त फीस की रकम अत्यधिक है।

(7) उप-नियम (5) में निर्दिष्ट प्रतिवाद का परीक्षण नियंत्रक द्वारा गठित एक पुनर्विलोकन समिति द्वारा किया जाएगा।

(8) उप-नियम (7) के तहत गठित पुनर्विलोकन समिति उस सीमा का परीक्षण करेगी जहाँ तक वह प्रतिवाद युक्तिसंगत है और तदनुसार आवेदक को अतिरिक्त फीस की पूर्ण या आंशिक प्रतिपूर्ति का आदेश देगा।

(9) जहाँ उप-नियम (6) में निर्दिष्ट पुनर्विलोकन समिति यह पाती है कि प्रतिवाद पूर्णतया युक्तिसंगत था तो आवेदक को प्रतिवाद फीस वापस कर दिया जाएगा।

19. ठ. अन्तरराष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण प्रतिवेदन स्थापित करने की समय सीमा और उसका पारेषण — अन्तरराष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण प्रतिवेदन स्थापित करने की समयवधि होगी :

i. पूर्विकता तारीख से अठाईस मास; या

ii. अन्तरराष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण प्रारंभ करने के लिए संधि के अधीन विनियमों के नियम 69.1 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि से छः मास; या

iii. इस संधि के अधीन विनियमों के नियम 55.2 के अधीन परीक्षण प्राधिकारी को उपलब्ध कराए गए अनुवाद की प्राप्ति की तारीख से छः मास, जो भी बाद में समाप्त होता है।

19. ड. अन्तरराष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण प्रतिवेदन का पारेषण— परीक्षण प्राधिकारी अन्तरराष्ट्रीय प्रारंभिक प्रतिवेदन की एक प्रति और उसके अनुलग्नक, यदि कोई हो, अन्तरराष्ट्रीय ब्यूरो को और एक प्रति आवेदक को उसी दिन पारेषित करेगा।”

19. ढ. वापसी की स्थिति और सीमा —आवेदक द्वारा संदत्त फीस इस संधि में विनिर्दिष्ट शर्तों या संधि के अधीन विनियमों में विहित स्थितियों और भारतीय पेटेंट कार्यालय तथा अन्तरराष्ट्रीय ब्यूरो के बीच हुए समझौते के अनुसार और उस सीमा तक वापस, निरस्त या कम कर दिया जाएगा।”

7. उक्त नियमों के नियम 27 में, “और सार” शब्द के स्थान पर “सार और कोई अन्य दस्तावेज” शब्द रखे जाएंगे,

8. उक्त नियमों के नियम 138 के, उप-नियम (1) में, “नियम 24 ख” शब्द, अंक तथा अक्षर के स्थान पर “इन नियमों के अध्याय 3, नियम 24-ख” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

9. उक्त नियमों की चतुर्थ अनुसूची और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

“पांचवीं अनुसूची

[नियम 19 (2), 19 क (1)(ख), 19 ख(5), 19ख (12), 19ज, 19ट(5) देखें]

क्रम संख्या	किस पर संदेय है (पेटेंट नियम, 2003 के सुसंगत उपबंध, यदि कोई हो)	संधि के अधीन से सुसंगत नियम	प्रकृत व्यक्ति के लिए	प्रकृत व्यक्ति से मिन या तो अकेले या प्रकृत व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			(रुपये में)	(रुपये में)
1.	खोज फीस	नियम 16.1 (क)	2500	10000
2.	नियम 19 ख (5) के अधीन अतिरिक्त फीस	नियम 40.2	2500	10000
3.	नियम 19 ख (5) तथा 19 ज (5) के अधीन प्रतिवाद फीस	नियम 40.2 (ड.) और 68.3 (ड)	1000	4000
4.	प्रारंभिक परीक्षण फीस	नियम 58.1	3000	12000
5.	नियम 19 ज (5) के अधीन अतिरिक्त फीस	नियम 68.3	3000	12000
6.	प्रारंभिक परीक्षण फीस यदि भारतीय अन्तरराष्ट्रीय खोज प्राधिकारी द्वारा अन्तरराष्ट्रीय खोज रिपोर्ट तैयार की जाती है		2500	10000
7.	नियम 19 ज (5) के अधीन यदि भारतीय अन्तरराष्ट्रीय खोज प्राधिकारी द्वारा अन्तरराष्ट्रीय खोज रिपोर्ट तैयार की जाती है		2500	10000
8.	अन्तरराष्ट्रीय ब्यूरो को संदत्त की जाने वाली कार्रवाई फीस	नियम 57	संधि के अधीन बनाए गए विनियमों में संलग्न फीस की अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट	
9.	विलम्ब प्रस्तुति फीस	नियम 13 टीईआर. 1(ग) तथा 13 टीईआर.2, 12.3 (ड.), 12.4 (ड.)	1000	4000
10.	विलम्ब भुगतान फीस	नियम 58 बीआईएस. 2, 16 बीआईएस.2	संधि के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार	
11.	पूर्ववर्ती खोज और पूर्ववर्ती आवेदन के परिणामों की प्रति	12 बीआईएस.1(ग)	1000	4000

[एफ. सं. 14/1/2008-आईपीआर-III]

डी. वी. प्रसाद, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्यांक का. आ. 493 (अ) तारीख 2 मई, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए और निम्नलिखित पश्चात्वर्ती अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधित किए गए।

- का. आ. 1418 (अ), तारीख 28 दिसम्बर, 2004;
- का. आ. 657 (अ), तारीख 5 मई, 2006; और
- का. आ. 2296 (अ), तारीख 25 सितम्बर, 2012.

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd April, 2013.

S.O.1029 (E).—WHEREAS, certain draft rules were published in exercise of the powers conferred by section 159 of the Patents Act, 1970 (39 of 1970), vide notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion), bearing number S.O. 189 (E) in Part II, Section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 17th January, 2013, for inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of fifteen days from the date on which copies of the Gazette containing the notification were made available to the public;

AND WHEREAS, the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 17th January, 2013;

AND WHEREAS, no objection or suggestion has been received from the public on the said draft rules, by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 159 of the Patents Act, 1970 (39 of 1970), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Patents Rules, 2003, namely:-

1. (1) These rules may be called the Patents (Amendment) Rules, 2013.
(2) They shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. In the Patents Rules, 2003 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 4, in sub-rule (2), the following sub-rules shall be inserted, namely: -

“(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), the Controller may transfer an application for patent so filed, to head office or, as the case may be, branch office of the Patent Office.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), further application referred to in section 16 of the Act, shall be filed at the appropriate office of the first mentioned application only.

(5) All further applications referred to section 16 of the Act filed in an office other than the appropriate office of the first mentioned application, before the commencement of the Patents (Amendment) Rules, 2013, shall be transferred to the appropriate office of the first mentioned application.”

3. For rule 9 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:-

“9. **Filing of documents and copies, etc.**- (1) All documents and copies of the documents, except affidavits and drawings, filed with patent office, shall -

(a) be typewritten or printed in Hindi or English (unless otherwise directed or allowed by the Controller) in large and legible characters not less than 0.28 centimetre high with deep indelible ink with lines widely spaced not less than one and half spaced only upon one side of the paper;

(b) be on such paper which is flexible, strong, white, smooth, non-shiny, and durable of size A4 of approximately 29.7 centimetre by 21 centimetre with a margin of at least 4 centimetre on the top and left hand part and 3 centimetre on the bottom and right hand part thereof;

(c) be numbered in consecutive Arabic numerals in the centre of the bottom of the sheet; and

(d) contain the numbering to every fifth line of each page of the description and each page of the claims at right half of the left margin.

(2) Any signature which is not legible or which is written in a script other than English or Hindi shall be accompanied by a transcription of the name either in Hindi or English in capital letters.

(3) In case, the application for patent discloses sequence listing of nucleotides or amino acid sequences, the sequence listing of nucleotides or amino acid sequences shall be filed in computer readable text format along with the application, and no print form of the sequence listing of nucleotides or amino acid sequences is required to be given.

(4) Additional copies of all documents shall be filed at the appropriate office as may be required by the Controller.

(5) Names and addresses of applicant and other persons shall be given in full together with their nationality and such other particulars, if any, as are necessary for their identification."

4. In rule 17 of the said rules, after clause (a), the following clauses shall be inserted, namely:-

'(aa) "Examining Authority" means the Indian International Preliminary Examining Authority referred to in sub-rule (1) of rule 19F;

(ab) "International Bureau" means the International Bureau of World Intellectual Property Organisation;

(ac) "Searching Authority" means the Indian International Searching Authority referred to in sub-rule (1) of rule 19A;'

5. For rule 18 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely: —

"18. Appropriate office in relation to international applications. —(1) The receiving office, the designated office and the elected office, as the case may be, for the purposes of international applications shall be the appropriate office referred to in rule 4.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Patent Office, Delhi branch shall be the appropriate office for dealing with the International Bureau and any other International Searching Authority and International Preliminary Examining Authority.

(3) An international application shall be filed at and processed by the appropriate office, referred to in sub-rule (1), in accordance with the provisions of this Chapter, the Treaty and the regulations under the Treaty.

(4) The appropriate office referred to in sub-rule (1), shall, on receipt of an international application,

(a) keep one copy of the application to be called the "home copy" in its office;

(b) transmit one copy to be called the "record copy" to the International Bureau; and

(c) transmit one copy to be called "search copy" to the competent International Searching Authority referred to in Article 16 of the Treaty,

And simultaneously furnish complete details of such application to the Patent Office, Delhi branch."

6. For rule 19 of the said rules, the following rules shall be substituted, namely: —

"19. International applications filed with appropriate office as receiving office. —(1) An international application shall be filed with the appropriate office in triplicate either in English or Hindi language.

(2) The fees payable in respect of an international application shall, in addition to the fees specified in the regulations under the Treaty, be the fees as specified in the First Schedule and the Fifth Schedule.

(3) Where an international application has not been filed in triplicate, the appropriate office shall, upon payment of fees specified in the First Schedule, prepare the required additional copies.

(4) On receipt of a request from the applicant and on payment of the fees specified in the First Schedule, the appropriate office shall prepare a certified copy of the priority document and promptly transmit the same to the International Bureau and intimate the applicant and the Patent Office, Delhi branch."

19A. Indian International Searching Authority.—(1) The Patent Office, Delhi branch shall perform the functions of the Indian International Searching Authority under the treaty in accordance with an agreement between the Indian Patent Office and the International Bureau.

(2) The fees payable to the Searching Authority shall, in addition to the fees specified in the regulations made under the Treaty, be the fees as specified in the Fifth Schedule.

(3) The Searching Authority referred to in sub-rule (1), shall establish international search report in respect of international applications, or, as the case may be, declare in accordance with sub-rule (3) of rule 19B, in cases where India has been indicated as a competent International Searching Authority.

19 B. International search report.— (1) The Searching Authority shall, on receipt of the search copy, notify the International Bureau and the applicant about the receipt of search copy with identification mark 'ISA/IN' along with the international application number and its serial number and the date of receipt of the search copy.

(2) Notwithstanding anything contained in the proviso to item (i) of sub-rule (2) of rule 24B, the Searching Authority shall, upon receipt of the search copy, refer the international application, in the order in which the search copy was received, to an examiner or any other officer appointed under sub-section (2) of Section 73 of the Act for preparing an international search report, in accordance with the provisions contained in the Treaty and the regulations under the Treaty, ordinarily within a period of one month but not exceeding two months from the date of such reference.

(3) The Searching Authority, if it considers that-

- (a) the international application relates to a subject matter which the Searching Authority is not required to search and accordingly decides not to search; or
- (b) the description, claims or drawings fail to comply with the requirements prescribed under the regulations under the Treaty to such an extent that a meaningful search could not be carried out,

the Authority shall so declare and notify the applicant and the International Bureau that no international search report shall be established.

(4) In a case where any situation referred to in clause (a) or clause (b) of sub-rule (3) is found to exist in connection with certain claims only, the Searching Authority shall indicate this fact in the International Search Report in respect of such claims, and for other claims, it shall establish the International Search Report.

(5) The Searching Authority, if it considers that the international application does not comply with the requirement of unity of invention, in accordance with the provisions contained in Rule 13 of the regulations under the Treaty, shall send a notice specifying the reasons for which the international application is not considered as complying with the requirement of unity of invention and inviting the applicant-

- (a) to pay the additional fees specified in the Fifth Schedule, indicating the amount of fees to be paid, within a period of one month from the date of such invitation; and
- (b) to pay, where applicable, the protest fee specified in the Fifth Schedule, indicating the amount of fee to be paid, within a period of one month from the date of such invitation.

(6) The Searching Authority shall establish the International Search Report on those parts of the international application which relate to the invention first mentioned in the claims ("main invention") and subject to payment of additional fee within the period specified in sub-rule (5), on those parts of the international application which relate to inventions in respect of which such additional fees were paid.

1645 6513-3

- (7) Any applicant may pay the additional fees under protest, that is, accompanied by a reasoned statement to the effect that the international application complies with the requirement of unity of invention or that the amount of the required additional fees is excessive.
- (8) The examination of the protest referred to in sub-rule (7) shall be carried out by a Review Committee constituted by the Controller.
- (9) The Review Committee constituted under sub-rule (8) shall examine the extent to which the protest is justified and shall accordingly order for the total or partial reimbursement of the additional fee to the applicant.
- (10) Where the applicant has not paid the fees for the protest in accordance with clause (b) of sub-rule (5), the protest shall be considered not to have been made and the Searching Authority shall so declare.
- (11) The protest fee shall be refunded to the applicant where the Review Committee referred to in sub-rule (8) finds that the protest was entirely justified.
- (12) Where the international application contains the disclosure of one or more nucleotide or amino acid sequences and the sequences are not furnished in computer-readable text format, the Searching Authority shall send a notice to the applicant to submit the sequence listing in computer-readable text format and pay the late furnishing fee specified in the Fifth Schedule, within a period of one month from the date of such notice and if the applicant fails to comply with the notice, the Searching Authority shall search the international application to the extent that a meaningful search can be carried out without the sequence listing.

19 C. Time limit for establishing international search report. – The Searching Authority shall establish the International Search Report and written opinion or, as the case may be, the declaration referred to in sub-rule (3) of rule 19B within a period of three months from the date of receipt of the search copy by the Searching Authority, or within a period of nine months from the date of priority, whichever expires later.

19D. Transmittal of the International Search Report and written opinion,–

The Searching Authority shall transmit one copy of the International Search Report or of the declaration referred to in Article 17(2)(a) of the Treaty, and one copy of the written opinion established under Rule 43bis.1 of the regulations under the Treaty, to the International Bureau and one copy to the applicant, on the same day.

19E. Confidential treatment.–All matters pertaining to international applications shall be kept confidential in accordance with the treaty and the regulations under the Treaty.

19F. Indian International Preliminary Examining Authority. - (1) The Patent Office, Delhi branch shall perform the functions of the International Preliminary Examining Authority under the Treaty in accordance with an agreement between the Indian Patent Office and the International Bureau.

(2) The Examining Authority referred to in sub-rule (1), shall establish—

- (a) the International Preliminary Examination Report in respect of all international applications electing India as an International Preliminary Examining Authority;
- (b) the International Preliminary Examination Report in respect of the demands filed by the nationals or residents of other countries in accordance with an agreement between Indian Patent Office and the International Bureau, upon being notified by the International Bureau;
- (c) the International Preliminary Examination in respect of demands made by the nationals or residents of other countries not party to the Treaty or not bound by Chapter II of the Treaty, if the Assembly has so approves.

19G. Period for making a demand. – (1) The demand for international preliminary examination shall be made within the period specified in the Treaty or regulations under the Treaty.

(2) In case the demand is made after the expiry of the period specified in sub-rule (1), it shall be considered to have not been made and no International Preliminary Examination Report shall be prepared.

19H. Fees payable to Examining Authority. –The fees payable to the Examining Authority shall, in addition to the fees specified in the regulations under the Treaty, be the fees specified in the Fifth Schedule.

19I. Manner of making a demand. –A demand shall be made in accordance with the provisions contained in these rules, the Treaty and the regulations under the Treaty.

19J. Processing of demands for international preliminary examination. – (1) The Examining Authority, on receipt of the demand for international preliminary examination, if the Examining Authority is competent to conduct an international preliminary examination, shall assign the identification mark 'IPEA/IN' and shall notify the Applicant and the International Bureau.

(2) In case where the Examining Authority is not competent to conduct the international preliminary examination of the international application, it shall transmit the demand promptly to the International Bureau.

19K. International Preliminary Examination Report. – (1) Notwithstanding anything contained in the proviso to item (i) of sub-rule (2) of rule 24B, the Examining Authority shall refer the international application, in accordance with the provisions contained in the Treaty and the regulations under the Treaty, in the order in which the demand was received in the Examining Authority to an examiner or any other officer appointed under sub-section (2) of section 73 of the Act for preparing an International Preliminary Examination Report ordinarily within a period of three months but not exceeding four months from the date of such reference.

(2) Claims relating to inventions in respect of which no International Search Report has been established shall not be the subject of international preliminary examination.

(3) The Examining Authority, if considers that –

- (a) the international application relates to a subject matter on which the Examining Authority is not required to carry out an international preliminary examination, and, decides not to carry out such examination; or
- (b) that the description, the claims, or the drawings, are so unclear, or the claims are so inadequately supported by the description, that no meaningful opinion can be formed on the questions of novelty, inventive step (non-obviousness), or industrial applicability, the Examining Authority shall not go into these questions and shall inform the applicant of this opinion and the reasons therefor.

(4) In a case where any situation referred to in clause (a) or clause (b) of sub-rule (3) is found to exist in connection with certain claims only, the Examining Authority shall indicate this fact in the International Preliminary Examination Report in respect of such claims, and for other claims, it shall establish the International Preliminary Examination Report.

(5) Where the Examining Authority finds that the international application does not comply with the requirement of unity of invention, in accordance with the provisions contained in Rule 13 of the regulations under the Treaty and chooses to invite the applicant, at his option, to restrict the claims or to pay additional fees, it shall issue a notice to the applicant:

- (a) specifying at least one possibility of restriction which, in the opinion of the Examining Authority, would be in compliance with the applicable requirement;

- (b) specifying the reasons for which the international application is not considered as complying with the requirement of unity of invention;
- (c) inviting the applicant to comply with the invitation within one month from the date of such notice;
- (d) indicating the amount of the required additional fees to be paid in case the applicant so chooses; and
- (e) inviting the applicant to pay, the protest fee within one month from the date of such notice, and indicate the amount to be paid, as specified in the Fifth Schedule.

(6) Any applicant may pay the additional fees under protest, that is, accompanied by a reasoned statement to the effect that the international application complies with the requirement of unity of invention or that the amount of the required additional fees is excessive.

(7) The examination of the protest referred to in sub-rule (5) shall be carried out by a Review Committee constituted by the Controller.

(8) The Review Committee constituted under sub-rule (7) shall examine the extent to which the protest is justified and shall accordingly order for the total or partial reimbursement to the applicant of the additional fee.

(9) The protest fee shall be refunded to the applicant where the Review Committee referred to in sub-rule (6) finds that the protest was entirely justified.

19 L. Period for establishing international preliminary examination report and its transmission. – The period for establishing the International Preliminary Examination Report shall be:

- (i) twenty eight months from the priority date; or
- (ii) six months from the period specified under Rule 69.1 of the regulations under the Treaty for the start of the international preliminary examination; or
- (iii) six months from the date of receipt by the Examining Authority of the translation furnished under Rule 55.2 of the regulations under the Treaty,

whichever expires last.

19M. Transmittal of the International Preliminary Examination Report.—The Examining Authority shall transmit one copy of the International Preliminary Examination Report and its annexures, if any, to the International Bureau, and one copy to the applicant, on the same day.

19N. Conditions for and extent of refund. – The fee paid by the applicant may be refunded, waived or reduced to the extent and in accordance with the conditions specified in the Treaty or the regulations under the Treaty and the agreement entered between the Indian Patent Office and the International Bureau.”

7. In rule 27 of the said rules, for the words “and the abstract”, the words “the abstract and any other document” shall be substituted.

8. In rule 138 of the said rules, in sub-rule (1), for the word, figures and letter “rules 24B”, the words, figures and letters “Chapter III of these rules, rule 24B,” shall be substituted.

9. After the FOURTH SCHEDULE to the said rules and the entries relating thereto, the following SCHEDULE and entries shall be inserted, namely:—

"THE FIFTH SCHEDULE**[See rules 19(2), 19A(1)(b), 19B(5),19B(12), 19H, 19K(5)]**

Sl. No.	On what payable (Relevant provision of Patents Rules, 2003, if any)	Relevant Rule of regulations under the Treaty	For Natural Person	Other than natural person either alone or jointly with natural person
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			(In Rupees)	(In Rupees)
1.	Search fee	Rule 16.1(a)	2500	10000
2.	Additional fee under rule 19B (5)	Rule 40.2	2500	10000
3.	Protest fee under rules 19B (5) and 19J(5)	Rules 40.2(e) and 68.3(e)	1000	4000
4.	Preliminary examination fee	Rule 58.1	3000	12000
5.	Additional fee under rule 19J(5)	Rule 68.3	3000	12000
6.	Preliminary examination fee, if the International Search Report was prepared by the Indian International Searching Authority		2500	10000
7.	Additional fee under rule 19J(5), if the International Search Report was prepared by the Indian International Searching Authority		2500	10000
8.	Handling fee to be paid to be IB	Rule 57	As specified in the schedule of fee annexed to the regulations made under the Treaty	
9.	Late furnishing fee	Rule 13ter.1(c),1 3ter.2, 12.3(e), 12.4(e)	1000	4000
10.	Late payment fee	Rule 58bis.2, 16bis.2	In accordance with the regulations made under the Treaty	
11.	Copy of Results of Earlier Search and of Earlier Application	12bis.1(c)	1000	4000"

[F. No. 14/1/2008-IPR-III]

D. V. PRASAD, Jt. Secy.

Note. – The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification number S.O. 493 (E), dated the 2nd May, 2003 and subsequently amended vide notification numbers –

- (i) S.O. 1418(E), dated the 28th December, 2004;
- (ii) S.O. 657 (E), dated the 5th May, 2006; and
- (iii) S.O. 2296 (E), dated the 25th September, 2012.